राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 3 जनवरी, 1986

क्रमांक 1461-ज-2-85/435.—श्री गणपत राम, पुत्र श्री मामन, गांव छपार, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 2 अक्तूबर, 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गणपत राम की मुबलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16884-जे-एन-(3)-66/19933, दिनांक 24 सितम्बर, 1966, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 178-9जे-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती छोटी के नाम खरीफ, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1351-ज(2)-85/439.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री रिछपाल, पुत्र श्री भोजा राम, गांव काकडोलीहुठी, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1390-ज(2)-85/443.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री मनोहर लाल, पुत्र श्री भोला, गांव मदीना, तहसील महम, जिला रोहतक, को रबी, 1966 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

ओ० पी० सांगड़ा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

The 3rd/6th January, 1986

No. 6996-1ECDI-85/174.—Shri Jeet Singh Verma, Block Development and Panchayat Officer (Now working as A.G.A.) has been declared medically unfit for further Government service,—*vide* Chief Medical Officer, Faridabad's certificate, dated 19th November, 1985. The Governor of Haryana is therefore, pleased to retire him under rule 5.18 of C. S. R., Volume-II from Government service with effect from 31st December, 1985 (A.N.)

The 6th January, 1986

No. DPH-E2-85/325.—In pursuance of the provision contained in sub-section (3) of section 3 of the Punjab Panchayat Samitis Act, 1961 (Punjab Act No. 3 of 1961) and in partial modifcation of previous notification issued in this behalf and also in exercise of all powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to exclude Gram Panchayats, Chabri, Lalit Khera, Bharo Khera, Nidana and Nadani from Panchayat Samiti, Jullana, district Jind and to include the same in Panchayat Samiti Jind, district Jind.

S. K. SHARMA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department,